



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक:- एफ 1(7)(01043)डीपीसी/सान्याअवि/2025

जयपुर, दिनांक:- यथा ई-हस्ताक्षरित

आदेश :-

सहायक निदेशक के वर्ष 2024-25 की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2025 को समिति कक्ष, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई।

पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2024-25 में रिक्त पदों के लिये निम्नानुसार अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा समकक्ष (पे लेवल-12) से सहायक निदेशक एवं समकक्ष (पे लेवल-14) के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंसा किये जाने नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	चयन दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री हेमन्त खटीक	SC	01.04.2024	-
2.	श्री अभिषेक गुजराती	SC	01.04.2024	मूल वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरुद्ध
3.	श्री श्यामलाल कुमावत	UR	01.04.2024	-
4.	श्रीमति शारदा देवी	UR	01.04.2024	-

पदोन्नत अधिकारी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इनको पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(केसरलाल मीणा)

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

क्रमांक:- एफ 1(7)(01043)डीपीसी/सान्याअवि/2025

जयपुर, दिनांक:- यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव/आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/अधीक्षक/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन,।
8. संस्थापन प्रशाखा (पी-1) मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को ई-मेल/वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. संबंधित श्री/श्रीमती द्वारा उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन,।
10. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती।
11. आदेश पत्रावली

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)